न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–279/2015 (2015/00112)225/केकडी

1. सत्यनारायण पुत्र स्व. भैरू
2. गोपाल पुत्र स्व. भैरू
3. गोविन्द कुमार पुत्र स्व. भैरू जाति माली, निवासी सदारा तहसील सावर जिला अजमेर

अपीलांट

बनाम

1. इशहाक पुत्र कासम खां, जाति मुसलमान, निवासी सदारा तहसील सावर जिला अजमेर।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के आदेश दिनांक 21.07.2015, राजस्व वाद संख्या 37/2015 विरूद्ध सहायक कलक्टर, ब्यावर।

उपस्थितः–

1. श्री रामसुख चौधरी एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री मंगलाराम चौधरी एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
3. श्री बी.के. विजयवर्गीय एड़वोकेट रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से।
4. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 11.02.2019

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 21.07.2015, राजस्व प्रकरण संख्या 37/2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि उसका ग्राम सदारा तहसील सावर मे स्थित पुश्तैनी खेत खसरा संख्या 1700 रकबा 1.23 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने का एक मात्र रास्ता अपीलांटस की खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा संख्या 1702 रकबा 0.81 हैक्टेयर भूमि की उततरी मेड से होते हुऐ खसरा संख्या 1632 की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे खसरा संख्या 1702 मे से होकर आता जाता था किन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस मे अंकित नही होने से अपीलांटस/अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को बन्द कर आने जाने में अड़चन पैदा करते है। उक्त आवेदन को जिला कलेक्टर द्वारा मार्क कर उपखण्ड अधिकारी केकडी को प्रेषित किया जिसे दर्ज कर अपीलांटस/अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने के आदेश पारित करने बाबत अंकन किया। आदेशिका दिनांक 25–06–2015 की अनुपालना मे अपीलांटस को कोई सम्मन प्राप्त नही हुए, आगामी दिनांक 06–07–2015 नियत कर आगामी पेशी दिनांक 09–07–2015 लोक अदालत सावर नियत करने का अंकन किया गया। उक्त तारीख पेशी पर अपीलांटस/अप्रार्थीगण के नाम यह अंकन कर कि बावजूद सूचना अंपीलांटस/अप्रार्थीगण की अनुपस्थिती के सम्बंध में अंकन करते हुऐ कि पेरोकार सरकार ने प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की जिसे शामिल मिसल कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की बहस समायत कर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 21–07–2015 को पेश होने बाबत अंकन कर रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवैधानिक रूप से अपने आदेश दिनांक 21–07–2015 को स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 21.07.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं।

03. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 2 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए, तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

04. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस मे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपनी पैत्रृक भूमि खसरा नम्बर 1700 पर आने जाने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) के तहत जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष आवेदन किया जिसे उन्होने उक्त आवेदन को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को प्रेषित किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने प्रार्थना पत्र को दिनांक 25.06.2015 को दर्ज करना व अपीलांटस को जरिये सम्मन तलब कर आगामी तारीख पेशी 06.07.2015 को ग्राम सदारा में नियत की, उक्त तारीख पेशी में ग्राम सदारा में कोई कैम्प कोर्ट नहीं हुआ, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से स्वंय सिद्व है। इसके बावजूद भू–अभिलेख निरीक्षक, मेहरूकलां व पटवारी हल्का सदारा से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दुर्भि संधी कर अपीलांटस की पीठ पीछे मौका पर्चा अपने स्तर पर तैयार करवा कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवा दिया जिस पर विश्वास करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किये है वह विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को विधिवत सम्मन तामील कराये बिना, मौका पर्चा पर आक्षेप प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब का अवसर प्रदान किये बगैर आदेश अन्तर्गत अपील पारित कर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त की अवहेलना कारित करने से उनके पारित आदेश दिनांक 21.07.2013 निरस्त योग्य हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 21.07.2015 को निरस्त किया जावे।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को उक्त प्रकरण के नोटिस दिनांक 06.07.2015 की पेशी के जारी किये गये थे। अपीलार्थीगण द्वारा जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलार्थी का यह कथन की उक्त नोटिस कैम्प कोर्ट सदारा के थे ग्राम सावर के नही, तो अगर अपीलार्थी उक्त पेशी पर सदारा कैम्प कोर्ट में उपस्थित होता तो उसे पत्रावली के सावर कैम्प कोर्ट में होने की जानकारी हो जाती परन्तु अपीलार्थी कैम्प कोर्ट सदारा में भी उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। जाप्ता दीवानी के आदेश 05 नियम 12 में यह प्रावधान दिया गया है कि एक बार नोटिस जारी कर दिये गये है एवं पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं होते है तो पुनः नोटिस जारी करने की आवश्यकता नही होती है। प्रत्यार्थी द्वारा आवेदन रास्ते बाबत् पेश किया था वह धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम को स्वंय की आराजी पर जाने बाबत् नया मार्ग खोलने हेतु प्रस्तुत किया था जिससे तहत् सुनवाई का अधिकार उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को ही रहा है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा दिनांक 01.07.2015 को उक्त प्रकरण से सम्बन्धित रास्ते के सम्बन्ध में जॉच किये जाने हेतु तहसीलदार, सावर को पत्र जारी किया गया था जिस पर दिनांक 06.07.2015 को कैम्प कोर्ट सावर में तहसीलदार, सावर द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक, मेहरूकलां को आदेश दिये कि वह स्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें, जिस पर दिनांक 09.07.2015 को प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश हुई तथा अपीलार्थीगण के उपस्थित नहीं होने से बहस सुनी जाकर आदेश हेतु दिनांक 21.07.2015 नियत की गई तथा दिनांक 21.07.2015 को मौका रिपोर्ट में दर्शित रास्ते दिये जाने के आदेश कर दिये। आपसी सहमति से रेस्पोडेन्ट पूर्व से ही उस रास्ते का उपयोग करते आये है। उक्त मौका रिपोर्ट पूर्णतः विधिक प्रावधानो के तहत् पक्षकारान को सूचित कर तैयार की गई हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आदेश भी विधि सम्मत हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगगण/अपीलांट को दिनांक 06.07.2015 के नोटिस जारी किये थे तथा उक्त नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। इस प्रकार अपीलांटस का यह कहना कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है विधि सम्मत नही है। भू–निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 06.07.2015 से स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ईशाक पुत्र कासम खॉ के खातेदारी खसरा नम्बर 1697/1, 1701/1 व सामलात खसरा नम्बर 1698, 1699 पर पहुॅचने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के अनुसार आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्याालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा पर आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं होने पर नये रास्ते के आदेश पारित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की हैं। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य पायी जाती है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 21.07.2015, प्रकरण संख्या 37/2015 यथावत् रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

11/2/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

8. आदेश आज दिनाक 11.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

11/2/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर